

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ

लखनऊ:दिनांक 11 जुलाई 2018

संख्या-एम०ई०-3/2018/2656

यू०पी० नीट यू०जी०-2018 की द्वितीय चक की ऑन लाईन काउंसिलिंग की समय सारणी

राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों (एम०बी०बी०एस०/बी०डी०एस०) में प्रवेश हेतु यू०पी० नीट यू०जी० 2018 की द्वितीय चक की ऑन लाईन काउंसिलिंग हेतु महत्वपूर्ण समय-सारणी निम्नवत् है:-

आन लाईन पंजीकरण की तिथि	दिनांक 13 जुलाई, 2018 (पूर्वाह्न 11:00 बजे से) दिनांक 15 जुलाई 2018
मेरिट लिस्ट जारी करने की सम्भावित तिथि	दिनांक 16 जुलाई 2018
पंजीकृत अभ्यर्थियों के शैक्षणिक/जाति/अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन तथा धरोहर धनराशि जमा करने की तिथि	दिनांक 17 जुलाई, 2018 से दिनांक 21 जुलाई 2018 (प्रातः 9:00 बजे सायं 5:00 बजे तक)
काउंसिलिंग में विकल्प (Choice) भरे जाने की तिथि	दिनांक 24 जुलाई, 2018 (प्रातः 11:00 बजे से) दिनांक 25 जुलाई, 2018
सीट आवंटन के परिणाम की घोषणा	दिनांक 26/27 जुलाई, 2018
आवंटन पत्र को डाउनलोड किये जाने की तिथि	दिनांक 27 जुलाई, 2018 से दिनांक 02 अगस्त, 2018
प्रवेश लेने की तिथि	दिनांक 28 जुलाई, 2018 से दिनांक 03 अगस्त, 2018 (प्रातः 9:00 बजे सायं 5:00 बजे तक)

- प्रथम चक की काउंसिलिंग में पंजीकृत अभ्यर्थियों को पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है।
- प्रथम चक की काउंसिलिंग में पंजीकृत ऐसे अभ्यर्थी जिनका पंजीकरण शुल्क नहीं जमा हो सका है, वह अपना पंजीकरण शुल्क जमा करके काउंसिलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकते हैं।
- प्रथम चक की काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थियों को छोड़कर शेष सभी पंजीकृत अभ्यर्थियों को समस्त मूल शैक्षणिक/जाति प्रमाण-पत्रों का सत्यापन नोडल सेन्टर पर कराना अनिवार्य होगा।
- द्वितीय चक की काउंसिलिंग के माध्यम से आवंटित/अपग्रेड करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित नोडल सेन्टर पर प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि के अन्तर्गत रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा।
- अभिलेखों के सत्यापन तथा प्रवेश के समय मूल शैक्षणिक/जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- विगत सत्रों के माध्यम से प्रदेश में बी०डी०एस०/बी०ए०एम०एस०/बी०एच०एम०एस०/बी०यू०एम०एस० पाठ्यक्रम में प्रवेशित/अध्ययनरत अभ्यर्थियों को संबंधित कालेज द्वारा मूल अभिलेख जमा होने के संबंध में निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- नये पंजीकृत तथा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चक की काउंसिलिंग से आवंटन प्राप्त कर प्रवेश नहीं लिया है, को राजकीय क्षेत्र की सीटों हेतु रु० 30,000/- एवं निजी क्षेत्र की सीटों हेतु रु० 200,000/- की सिक्कीरिटी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो "महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०" (Director General, Medical Education & Training, U.P. payable at Lucknow) के पक्ष में देय होगा, अभिलेखों के सत्यापन के समय सम्बन्धित नोडल सेन्टर पर जमा करके काउंसिलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकते हैं।
- द्वितीय चक की काउंसिलिंग से निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों में पुनरावृत्त अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय शिक्षण शुल्क के अन्तर् की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट संबंधित नोडल सेन्टर पर जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
- द्वितीय चक की काउंसिलिंग में **Choice** भरने के उपरान्त **Choice Lock** करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में आवंटन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
- अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएँ एवं विस्तृत विवरण वेबसाईट <https://upneet.gov.in> & www.updgm.in पर देखी जा सकती हैं। अद्यतन सूचनाओं की जानकारी हेतु समय-समय पर उक्त वेबसाईट का अवलोकन करते रहें।

महानिदेशक